Form no. 111 .App -A

crim -1

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेडा जिला बून्दी

मैं: बालकृष्ण लाल तागो एनजी ...... बनाम ...... सरकार

किस्म मुकदमा:- 251 ए नं. 145 / प्रा0पत्र / सत्र / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
31/1/2024	प्रार्थना पत्र सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। प्रार्थी मय वकील उपस्थित है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाये। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 9/2/24 को पेश हो।	
9/2/24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 13/2/24 को पेश हो।	
13/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० तामील रिपोर्ट एवं TQR मौका रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते इन्तजार मौका रिपोर्ट एवं तलबी रिपोर्ट दि० 22/2/24 को पेश हो।	
22/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० मौका [illegible] रिपोर्ट प्राप्त। मौका रिपोर्ट का वकील प्रार्थी ने अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट पर अनापत्ति जाहिर की। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 26/2/24 को पेश हो।	
26/2/24	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रा०पत्र प्रार्थी का अवलोकन किया गया। प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	खम हो। बादतामील तकमील निममानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह (आर.ए.एस.)

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
145/प्रा.पत्र/2024 (आनलाईन 2024/15)	31.01.2024	26.02.2024

मैसर्स श्री बालकृष्ण लाल बायो एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड जर्ये डायरेक्टर नवनीत कुमार सोमानी आ0 जगदीश प्रसाद नि0 ई–94/1 श्री जी रिसोर्ट के पास अजमेर रोड सुभाष नगर, भीलवाडा (राज0)

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तालेडा

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता निर्माण अन्तर्गत धारा 251–क (1) आर.टी. एक्ट

उपस्थित अभिभाषकः–

अभिभाषक प्रार्थी :– श्री नन्द सिंह

अभिभाषक अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (2) राजस्थान टीनेंसी एक्ट सपठित सरकारी संशोधित नियम 2012 के नियम 68 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं. 1113/1111 रकबा 0.9878 है0. वाके ग्राम साथेली पटवार मण्डल लीलेडा व्यासान तहसील तालेडा में स्थित है। प्रार्थी की भूमि में आवागमन का मार्ग अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 753 रकबा 0.1619 हैक्टे. व खसरा संख्या 755 रकबा 1.1295 हैक्टे. जो ग्राम साथेली पटवार हल्का लीलेडा व्यासान तहसील तालेडा में विस्थित है से नवीन मार्ग सृजित होगा। उपरोक्त वर्णित भूमि में से 30 फुट चौडाई के रास्ते की आवश्यकता है। अप्रार्थी की भूमि ख.सं. 753 रकबा 0.1619 हैक्टे. व खसरा संख्या 755 रकबा 1.1295 हैक्टे. वाके ग्राम साथेली पटवार हल्का लीलेडा व्यासान में होकर रास्ते हेतु आपसी समझाईस व सहमति से रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी ने रास्ता देने से इनकार कर दिया। प्रार्थी को अप्रार्थी की भूमि पर से रास्ता कृषि भूमि पर पहुंच हेतु आवश्यक है क्योंकि प्रार्थी के पास स्वयं की कृषि भूमि पर पहुंच का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। वादग्रस्त आराजी ग्राम साथेली तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को वादपत्र को सुनने व निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा आवेदित रास्ते के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त करने हेतु तहरीर जारी की गई।

प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते के सम्बन्ध में अप्रार्थी तहसीलदार तालेड़ा द्वारा जर्ये पत्रांक 158 दिनांक 22.02.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि आवेदक द्वारा प्रा.पत्र में प्रस्तावित किया गया मार्ग न्यूनतम है। अन्य उपयुक्त चौडाई का मार्ग नही है। खसरा संख्या 1113/1111 रकबा 0.9878 हैक्टे. ग्राम साथेली पर पहुंच हेतु रास्ता आवेदित किया गया है। खसरा सं. 755 रकबा 0.1295 हैक्टे. किस्म बारानी 1 सिवायचक एवं ख.सं. 753 रकबा 0.1619 हैक्टे. किस्म नहरी 2 सिवायचक ग्राम साथेली दर्ज रेकार्ड है। ख.सं. 755 रकबा 0.1295 हैक्टे. सिवायचक खातेदार राज. सरकार एवं खसरा सं. 753 रकबा 0.1619 हैक्टे. किस्म नहरी 2 सिवायचक खातेदार राज. सरकार

(हस्ताक्षर)

थेली दर्ज रेकार्ड है। उक्त रास्ते हेतु ख.सं. 755 रकबा 0.1295 हैक्टे. में से लम्बाई 100 गुणा चौडाई = 2000 ट यानी 0.0195 हैक्टे. व खसरा संख्या 753 रकबा 0.1619 हैक्टे. सम्पूर्ण नक्शे अनुसार दर्ज होगी। चूंकि सरा संख्या 753 रकबा 0.1619 हैक्टे. भूमि प्रार्थी के खेत के सहारे स्थित है जो कि पूर्वी दिशा की तरफ अन्य तों में जाने वाले रास्तों से मिलता है। आगामी भविष्य हेतु रास्ते की उपलब्धता की पूर्ति हेतु रास्ते में दिया जाना उचित होगा इस हेतु प्रार्थी स्वयं नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु सहमत है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (1) राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तहत अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कृषि भूमि पर रेकार्ड में रास्ता नही होने एवं कृषि भूमि पर कृषि कार्य एवं उपकरण इत्यादि की पहुंच हेतु रास्ता लिया जाना महती आवश्यकता है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट से भी होती है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि पर पहुँच हेतु नियमानुसार तहसीलदार तालेड़ा को रास्ता सृजन करने के लिए आदेश फरमावें।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जिस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन अंकित कर रास्ता चाहा गया है उसे दिया जाना न्यायोचित नही है रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम होने से रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रार्थी की आराजी पर पहुँच हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव प्रकट है एवं प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का है तथा नियमान्तर्गत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

परिणामतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं. 1113/1111 रकबा 0.9878 हैक्टे. वाके ग्राम साथेली पटवार मण्डल लीलेडा व्यासान तहसील तालेडा में सिंचाई प्रयोजन/पहुँच के लिए खातेदार राजस्थान सरकार की खातेदारी की आराजी ख0सं0 755 रकबा 0.1295 हैक्टे. में से लम्बाई 100 गुणा चौडाई 20 = 2000 वर्गफीट यानि 0.0195 हैक्टे. व खसरा संख्या 753 रकबा 0.1619 हैक्टे. कुल 0.1814 हैक्टे. भूमि संलग्न नक्शानुसार नया मार्ग सृजित किया जाता है। चूंकि खसरा संख्या 753 रकबा 0.1619 हैक्टे. भूमि प्रार्थी के खेत के सहारे स्थित है जो कि पूर्वी दिशा की तरफ अन्य खेतों में जाने वाले रास्तों से मिलता है। आगामी भविष्य हेतु रास्ते की उपलब्धता की पूर्ति हेतु रास्ते में दिया जावे। तहसीलदार तालेड़ा को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित किया जाये तथा रास्ता का सीमांकन किया जाये। राजस्व अभिलेखों में उक्त रास्ता दर्ज करने से पूर्व प्रार्थी से कुल भूमि 0.1814 हैक्टे0 की एवज में वर्तमान डी.एल.सी. की दुगनी राशि राजकोष में जमा करायी जावे, तत्पश्चात राजस्व रेकार्ड में रास्ता अभिलिखित किया जावे। प्रार्थी रास्ते के रूप में दर्ज होने वाली भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में ही करेगे, उस रास्ते पर कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। आदेशानुसार पालना हेतु तहसीलदार तालेड़ा एवं प्रार्थी को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा